शासनादेश संख्या : 1C 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक

प्रारूप पत्र–1/भाग–1

संस्था का नाम–

निजी विश्वविद्यालय का नाम–

क्र.सं.	मानक/बिन्दु	हाँ/नहीं	अभ्युक्ति
1	प्रस्ताव/विस्तृत योजना रिपोर्ट (DPR) के साथ रू0 10.00 लाख प्रोसेसिंग जमा किया गया है		
2	प्रस्ताव शिक्षण, शोध, परीक्षाओं तथा प्रसार सेवाओं के लिये समुचित सुविधाओं से युक्त **एकल विश्वविद्यालय** की स्थापना के लिये है।		
3	निजी विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर स्थापित/ संचालित होगा, प्रस्तावक द्वारा प्रथम चरण में मुख्य परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है (यू.जी.सी. द्वारा 05 वर्ष के बाद दूसरा Campus/Centre स्थापित करने का प्राविधान है)।		
4	प्रस्तावक/प्रायोजक निम्नांकित में से एक है : कः सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था/ सोसायटी खः भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट गः कम्पनी अधिनियम 1956 में धारा–25 अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी की प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण/नवीकरण की तिथि, नियमावली के आधार पर) (क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, शोध, बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन आदि विशेषज्ञता क्षेत्रों में योगदान/पहल करना संस्था के उद्देश्यों में वर्णित है)। यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे। परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
5	प्रस्ताव द्वारा UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 में वर्णित प्राविधानों/मानकों व प्रक्रिया का अनुपालन करने प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है (शपथ–पत्र संलग्न)।		
6	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति का अनुपालन, स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट एवं समूह ग व घ के सभी पदों पर नियुक्ति व अन्य दिशा–निर्देशों के अनुपालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है (शपथ–पत्र संलग्न)।		
7	भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों,उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं द्वारा प्रायोजक/प्रस्तावक या संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को प्रतिबन्धित नहीं किया गया (शपथ–पत्र संलग्न)।		
8	प्रायोजक/प्रस्तावक, संस्था या इसके किन्ही सदस्यों अथवा संचालित संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक वाद विचाराधीन नहीं है या दण्ड दिया गया है (शपथ–पत्र संलग्न)।		

9	संस्था के प्रस्तावकों/संस्था के प्रर्वतकों/प्रायोजक संस्था (जिसमें कम्पनी, ट्रस्ट, सोसायटी/संस्था के सदस्यों की व्यक्तिगत् की net-worth) सुदृढ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ न्यूनतम् शुद्ध सम्पत्ति (net-worth)कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return आदि प्रस्ताव के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा। **(प्रवर्तक द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।)** (शपथ–पत्र संलग्न)।		
10	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्राविधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। प्रस्तावक संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम धनराशि 20 करोड़ रूपये जमा होना आवश्यक होगा।		
11	प्रवर्तक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
12	प्रस्तावक को न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रस्ताव करना होगा, इससे कम वाले प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्थापना की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।		
13	प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण किया जाना एवं अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निजी विश्वविद्यालयों की कोई भी शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम एवं विनियम के प्राविधानों से असंगत नहीं होगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा (सहमति पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)।		
14	प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग; सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा । (शपथ–पत्र संलग्न)		

संस्तुति :

(1) प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

(2) प्रस्ताव स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुति :– प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण किया गया है। अतः भाग–2 के मूल्यांकन हेतु पात्र है।

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या :१९· 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15नवम्बर, 2011 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन
Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

अंक पत्र प्रारूप–2/भाग–2

क्र. सं.	मानक/बिन्दु		निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि (अधिकतम निर्धारित अंक–25)			
	प्रस्तावक संस्था में न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्यकारी सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षक, शिक्षक प्रशासक, उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी एवं बुद्धिजीवी सदस्य हैं।	60–75 प्रतिशत	05	
		76–90 प्रतिशत	07	
	प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव– विश्वविद्यालय संचालन अनुभव	05 से 10 वर्ष	06	
		10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम	10	
	अथवा	15 वर्ष से अधिक	12	
	प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव– महाविद्यालय/संस्थान संचालन अनुभव	06 से 10 वर्ष	03	
		10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम	06	
		15 वर्ष से अधिक	08	
	प्रस्तावक द्वारा पूर्व से संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर NAAC, NBA से रैंकिंग/ग्रेडिंग प्राप्त है।	A	06	
		B	04	
		C	02	
2	शैक्षणिक सहयोग समझौता (अधिकतम निर्धारित अंक–05) –			
	उच्च शिक्षा/मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संवर्द्धन–शोध व विकास के क्षेत्र में प्रत्यानित ग्रेड प्राप्त संस्थाओं से शोध, पाठ्यक्रम, शिक्षक व विद्यार्थी अदला–बदली आशय का समझौता (MoU/Tie-up) है। समझौता (MoU/Tie-up) ऐसे विश्वविद्यालय से किया जायेगा, जो शासकीय मान्यता प्राप्त प्रत्यानित करने वाली संस्था द्वारा प्रत्यानित/ग्रेड किया गया हो।	प्रदेश स्तर पर	02	
		राष्ट्रीय स्तर पर	04	
		अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	05	
3	विश्वविद्यालय का मुख्यालय (मुख्य परिसर) पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान (अधिकतम निर्धारित अंक–10)		10	
4	विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था (अधिकतम निर्धारित अंक–30)			
	प्रस्तावक संस्था के प्रवर्तक/प्रायोजक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति(net-worth)कम से कम तीन वर्षों का	30.01 से 50 करोड़	05	

	प्रमाण। (संपरीक्षित लेखा रिर्पोट, बैलेंस शीट तथा Wealth Tax Return आदि)	50.01 से 75 करोड़	10	-
		75 करोड़ से अधिक	14	
	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की समस्त चरणों की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। न्यूनतम रू0 20 करोड़ संस्था के बैंक खाते में जमा होना अनिवार्य है।	20 से 40 करोड	08	
		40.01–50 करोड़	12	
		50 करोड से अधिक	16	
5	**विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति।(अधिकतम निर्धारित अंक–05)**			
	प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के क्षेत्र में तथा उद्योग प्रायोजित पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम रू0 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले औद्योगिक संस्थानों से समझौता (MoU/Tie-up) है।		05	
6	**विश्वविद्यालय की राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता (अधिकतम निर्धारित अंक–10)**			
	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति, स्थायी निवासियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट। (शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा। इन सभी मदों में न्यूनतम आरक्षण/छूट देने पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे ।)	26 से 30 प्रतिशत	04	
		30 प्रतिशत से अधिक एवं 40 प्रतिशत तक	06	
		40 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत तक	10	
7	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता (अधिकतम निर्धारि अंक–20)**			
	प्रस्तावक द्वारा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	06–07विभागों/विषयों तक	04	
		08–09विभागों/विषयों तक	06	
		10 या अधिक विभागों/विषयों में	08	
	व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अधिमान (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	02 पाठ्यक्रम	05	
		03 पाठ्यक्रम	07	
		04 या अधिक पाठ्यक्रम	12	

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

संकलित मूल्यांकन तालिका

संस्था का नाम–

निजी विश्वविद्यालय का नाम–

क.	मानक/बिन्दु	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि	25	
2	शैक्षणिक सहयोग समझौता	05	
3	मुख्य परिसर पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान	10	
4	विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था	30	
5	विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (**MoU/Tie-up**)की स्थिति।	05	
6	विश्वविद्यालय की स्थापना में राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता	10	
7-	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता	20	
	योग	105	

(न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले प्रस्ताव को ही निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति पत्र (LoI) जो अधिकतम तीन वर्षों के लिये मान्य तथा इसके पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगा, राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

समिति का निर्णय–

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।